



# **S.D.S.M. SCHOOL FOR EXCELLENCE**


**(Affiliated to CBSE upto Senior Secondary)**

**CBSE Affiliation No. 3430149**

## **TO WHOM IT MAY CONCERN**

As per the notification of Department of School Education & Literacy, Government of Jharkhand notification no.629, dated 25.04.2019 and District Superintendent of Education (DSE), East Singhbhum letter no.RTE/359, dated 01.08.2019, we had applied for Recognition of our School under RTE Act, 2009 dated on 14.09.2019. Further the School Recognition process is delayed due to Covid-19 pandemic for all schools in Jamshedpur, East Singhbhum district.

Date: 10.04.2021

  
**(Moushumi Das)**  
Principal

Principal  
S.D.S.M.  
SCHOOL FOR EXCELLENCE  
SIDHGORA, AGRICO,  
JAMSHEDPUR-831009.

झारखण्ड सरकार  
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

629  
25/04/19

अधिसूचना

झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-22(5) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नियमावली-2011 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है/जोड़ा जाता है -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- (i) यह नियमावली झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होगी।

2. नियम 12 (1) में संशोधन :

नियम-12 (1) में कंडिका-(छ) के रूप में निम्नवत् जोड़ा जाता है।

मान्यता हेतु विद्यालयों से Online आवेदन की व्यवस्था शीघ्र किया जायेगा। यह व्यवस्था प्रभावी होने तक Offline आवेदन स्वीकार किया जायेगा। आवेदन/निरीक्षण शुल्क कक्षा-01 से 05 में 12500/- (बाहर हजार पाँच सौ रु0) एवं कक्षा 01 से 08 के लिये 25000/- (पच्चीस हजार रु0) देय होगा, जो अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) होगा। राशि कोषागार चालान द्वारा संबंधित विद्यालय के द्वारा ही जमा किया जायेगा तथा चालान की प्रति आवेदन के साथ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा। वांछित शुल्क चालान द्वारा निम्न शीर्ष में जमा किया जायेगा-“मुख्य शीर्ष-0202 शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति उप मुख्य शीर्ष 01-सामान्य शिक्षा लघु शीर्ष 101-प्रारंभिक शिक्षा।”

(क) विद्यालय के नाम से 1,00,000/- (एक लाख रु0) का सावधि जमा (Fixed deposit) स्थायी रूप से सुरक्षा कोष के रूप में रखना अनिवार्य होगा तथा इसकी छायाप्रति सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में सूचना हेतु जमा करना होगा।

3. नियम 12 (2) में संशोधन :

नियम-12 (3) (4) को विलोपित करते हुये नियम 12(2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद समिति के सदस्य सचिव के द्वारा 03 मास के भीतर उस विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा तथा जो विद्यालय मानकों, मापदण्डों एवं शर्तों के अनुरूप पाया


44




कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
District Superintendent of Education, East Singhbhum, Jamshedpur  
STOCKING ROAD, IN FRONT OF BLOOD BANK, CH AREA, BISTUPUR, JAMSHEDPUR  
Ph. 0657-2487194, E-mail add. rte.dsejsr@gmail.com

पूर्वी सिंहभूम जिला अर्न्तगत गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.4.2019 के आलोक में मान्यता प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित U-DISE आवंटित सभी निजी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रावधान 12 के तहत नवअधिसूचित विभागीय अधिसूचना सं० 629 दिनांक 25.04.19 में निर्धारित मापदण्डों, मानकों एवं शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.09.2019 के 5.00 बजे सायं तक स्वःघोषणा-सह-आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी RTE, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करने का समय निर्धारित किया गया है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त मान्यता संबंधि किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उपरोक्त नियमावली, अधिसूचना एवं स्वःघोषणा-सह-आवेदन पत्र (प्रपत्र-1) की प्रति जिले के वेबसाईट [www.jamshedpur.nic.in](http://www.jamshedpur.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है, जहाँ से विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर सम्यक प्रकाश डालने हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2019 को 12:00 बजे अपराह्न से माईकल जॉन ऑडिटोरियम, बिष्टुपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें जिले में अवस्थित U-DISE आवंटित सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य में से किसी एक को भाग लेना आवश्यक है। उनसे अनुरोध है कि वे [www.jamshedpur.nic.in](http://www.jamshedpur.nic.in) पर प्रकाशित स्वःघोषणा-सह-आवेदन पत्र (प्रपत्र-1) की प्रति अपने साथ अवश्य लायेंगे।

  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
पूर्वी सिंहभूम।


  
उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम।


ज्ञापांक...RTE/359, जमशेदपुर, दिनांक...01-08-2019

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया दिनांक 08.08.2019 के अंक में स्थानीय 4 समाचार पत्रों में उपर्युक्त सूचना के प्रकाशन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि:- सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे अपने क्षेत्राधीन U-DISE आवंटित सभी निजी विद्यालयों को निर्धारित तिथि की बैठक में उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
पूर्वी सिंहभूम।

  
उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम।



# S.D.S.M. SCHOOL FOR EXCELLENCE

(Affiliated to CBSE upto Senior Secondary)  
CBSE Affiliation No. 3430149

SDSMSE/2019-20/ 115  
14 September 2019

**District Superintendent of Education,**  
East Singhbhum,  
Jamshedpur

Dear Sir,

This is with reference to your letter no.629, dated 24.4.2019 regarding recognition of school as per RTE Act 2009. We are submitting Self Declaration cum Application Form (Prapatr-I with all required documents) for your kind perusal.

Thanking you,

Yours truly,

(Moushumi Das)  
Principal

Principal  
S.D.S.M.  
SCHOOL FOR EXCELLENCE  
SIDHGORA, AGRICO,  
JAMSHEDPUR-831009.



# S.D.S.M. SCHOOL FOR EXCELLENCE

(Affiliated to CBSE upto Senior Secondary)  
CBSE Affiliation No. 3430149

## प्रपत्र-1

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषणा-सह-आवेदन

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक  
जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम,  
झारखंड

महाशय,

मैं एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में उल्लेखित सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक स्वःघोषणा और एस0 डी0 एस0 एम0 स्कूल फॉर एक्सीलेंस को वर्ष, 2019-2020 विद्यालय के प्रारम्भ से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रपत्र में एक आवेदन अग्रेसित करता हूँ।

भवदीय,

*Atin*  
(दिवाकर सिंह)

अध्यक्ष

प्रबंधक समिति

एस.डी.एस.एम. स्कूल फॉर एक्सीलेंस  
सिदगोड़ा, एग्रिको जमशेदपुर-9

अनुलग्नक :

स्थान : जमशेदपुर

दिनांक : 14/09/2019